राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1779/2015..... जिला : .सीकर

मैसर्स राधिका एण्टरप्राइजेज, सीकर बनाम सहायक आयुक्त,प्रति करापवचंन, राजस्थान वृत–तृतीय, जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री सुनील शर्मा,सदस्य** **श्री मोहन लाल नेहरा,सदस्य**	
20.11.2015	अपीलार्थी की ओर से श्री पंकज घीया,अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर,जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी"कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2015, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ' वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरूद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सहायक आयुक्त,प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा वैट अधिनियम की धारा 25, 61, 55 एवं 78 (8) के अन्तर्गत दिनांक 26.08.2015 को वर्ष 2014–15 के लिए पारित कर निर्धारण आदेश में कर रू. 5,95,486/–, शास्ति रू 11,90,972/– एवं ब्याज रू. 71,459/– तथा अधिनियम की धारा 78 (8) के अन्तर्गत शास्ति रू. 2,85,394/– कुल रू. 21,43,311/– की मांग सृजित की है। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त सृजित मांग राशि रू. 21,43,311/–पर रोक लगाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंने उक्त राशि पर रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए रू. 21,43,311/– की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है । स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 14.11.2014 को किया गया है,जिसमें राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम,2006 के नियम 51 की पालना नहीं की गई, जो आज्ञापक है। उनका यह भी कथन है कि सर्वेक्षण के समय तैयार की गई फर्द की प्रति उसे उपलब्ध नही कराई गई है। उनका कथन है कि सर्वेक्षण के समय जो माल स्टॉक से अधिक पाया गया है, उसके सम्बन्ध में भी उसे बताने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। उन्होंने उक्त के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक को अविधिक एवं न्याय के विरूद्ध बताया। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने भी अपीलाधीन आदेश में बिना कोई कारण अंकित किये उसके द्वारा कप्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है, जो अविधिक है, इसलिए प्रकरण एवं सुविधा सन्तुलन व्यवहारी पक्ष में होने से स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।	

विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए सुविध सन्तुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने करा निवेदन किया।

उभय पक्षीय बहस पर मंनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन किया गया। बहस एवं प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये गये स्थगन प्रार्थना पत्र में स्थगन हेतु आवेदित राशि रू. 21,43,111/– को स्थगित नही करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई विधिक कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2015 में अंकित नहीं किया गया है । लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत स्थगन हेतु आवेदित राशि की वसूली पर कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थगन हेतु आवेदित राशि की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा, साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वह इस आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य